देश में कई जगह बाढ़ का विकराल रूप!

बिहार में गंगा-कोसी का कहर, यूपी में भी नदियां उफान पर

फसलें बर्बाद, गांवों से ग्रामीणों का पलायन शुरू

नईदिल्ली,22 जुलाई. देश के मैदानी इलाकों से आ रही ताजा खबरों के मुताबिक, गंगा और उसकी सहायक नदियां रौद्र रूप दिखा रही हैं. बिहार और उत्तर प्रदेश के कई जि़ले इस समय भयंकर बाढ़ की चपेट में हैं, जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. लाखों लोग प्रभावित हुए हैं, किसानों की खड़ी फसलें पानी में समा गई हैं, और कई जगह से लोगों का पलायन शुरू हो गया है. आपदा में अब तक दो लोगों की जान जा चुकी है.

मुंगेर में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसने अब लोगों को डराना शुरू कर दिया है. नदी का पानी चेतावनी रेखा (38.33 मीटर) को पार कर चुका है और तेजी से खतरे के निशान (39.33 मीटर) की ओर बढ़ रहा है. चेतावनी स्तर पार होते ही बाढ़ का पानी दियारा क्षेत्रों और नदी-नालों के ज़रिए निचले इलाकों तक पहुंच गया है. सैकड़ों एकड़ खेतों में लगी फसलें और पशु चारा पानी में डूब चुके हैं. कई स्थानों पर कटाव भी शुरू हो गया है.

> भागलपुर शहर में भी गंगा का पानी अब शहरी इलाकों में घुसने लगा है. बूढ़ानाथ मंदिर के निचले पार्क और मसानी काली मंदिर के पास तक पानी आ गया है. बरारी में सीढ़ी घाट व पुल घाट के पास गंगा पहुंच चुकी है, और रिवर फ्रंट की अधिकतर सीढ़ियां डूब गई हैं. टीएमबीयू गेस्ट हाउस तक पानी पहुंच गया, इससे विवि का पिछला हिस्सा पूरी तरह जलमग्न हो गया है. सिर्फ गंगा ही नहीं, कोसी नदी भी उग्र रूप दिखा रही है. नवगछिया के मदरौनी में कोसी नदी खतरे के निशान से महज 34 सेंटीमीटर नीचे बह रही है.

ओडिशा व आसपास के क्षेत्रों पर बना चक्रवात

भुवनेश्वर, 22 जुलाइ. दक्षिणी ओडिशा और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश से सटे पश्चिम-मध्य और उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर स्थित हवा का चक्रवाती क्षेत्र अब दक्षिण ओडिशा और उसके आसपास पहुंच गया है.

मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया यह समुद्र तल से औसतन 5.8 किमी ऊपर तक फैला हुआ है और दक्षिण-पूर्व की ओर झुका है. रिपोर्ट में बताया कि वर्तमान में एक कम दबाव वाली द्रोणिका पूर्व-पश्चिम में 13 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर चल रहां है और उत्तर-मध्य कर्नाटक से दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश तक समुद्र तल से औसतन 5.8 किमी ऊपर फैली हुई है. 24 जुलाई के आसपास उत्तरी बंगाल की खाड़ी के ऊपर निम्न दबाव का एक नया क्षेत्र बनने का अनुमान है. मौसम विभाग के अनुसार अगले पांच दिनों के दौरान उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में अलग-अलग स्थानों पर तथा अगले तीन दिनों में दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश में भारी बारिश होने के आसार हैं।

मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट को चुनौती

नई दिल्ली, 22जुलाई. 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन बम धमाकों से जुड़ा एक बड़ा मोड़ सामने आया है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने मामले के 12 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है.

इस फैसले के बाद यह सवाल एक बार फिर उठ खड़ा हुआ है कि आखिर 180 से ज्यादा लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? महाराष्ट्र सरकार ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है और तत्काल सुनवाई की मांग की है. सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश की पीठ के सामने कहा यह अत्यावश्यक मामला है, अत्यंत महत्वपूर्ण मामला है, इसमें जल्दी सुनवाई होनी चाहिए. कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हमें विचार करने की जरूरत है. मुख्य न्यायाधीश ने गुरुवार को सुनवाई का निर्देश दिया.

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : +914445644000, फैक्सः +914445644022

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकताओं और सह- उधारकताओं ने **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकताओं और सह-उधारकताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निदेर्शों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया। है. **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1	100239227	संपत्ति के बदले ऋण	25.06.2025	7,00,480.23/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं के नामः 1. विनोद पटेल 2. रुखमणी बाई

संपत्ति का पताः वह सारा टुकड़ा और पार्सल मकान संख्या 59, कुल भूखंड क्षेत्रफल 1907 वर्ग फुट, ग्रामः बुधनगांव ph नंबर 45, तहसीलः सोनकच्छ, जिलाः देवास, मध्य प्रदेश-455115 में स्थित, और इसकी सीमाएँ: पूर्वः अशोक का रास्ता और मकान, पश्चिमः सुरेश सिंह का जमीन (बाड़ा), उत्तरः मांगीलाल का मकान, दक्षिणः रमेश (साल्फबाड़ा)

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री / पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी
दिनांकः 23.07.2025
स्थानः देवास
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

ओलंपिक गोल्ड पर मिलेंगे 7 करोड़

1200 छात्रों को मिलेंगे लैपटॉप, 21,412 स्मार्ट क्लास की योजना

नई दिल्ली, 22जुलाई. दिल्ली सरकार ने युवा, छात्र और खिलाड़ियों के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं. मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक में शिक्षा और खेल के क्षेत्रों को सशक्त करने के लिए तीन बड़े फ़ैसलों को मंज़ूरी दी गई. कैबिनेट मंत्री आशीष सूद ने इन फ़ैसलों को दिल्ली को समावेशी विकास की दिशा में आगे ले जाने वाला बताया.

दिल्ली सरकार ने 10वीं कक्षा में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाले 1200 छात्रों को आई-7 लैपटॉप देने की घोषणा की है। इस योजना पर कुल 8 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। साथ ही, स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम विकसित करने की भी योजना है। वर्ष 2029-30 तक कुल 21,412 स्मार्ट क्लास बनाए जाएंगे, जिनमें से 18,996 कक्षाओं को चरणबद्ध तरीक़े से बदला जाएगा। इस परियोजना के लिए 900 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है।

> मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के तहत ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 7 करोड़ रुपये, रजत पदक विजेताओं को 5 करोड़ और कांस्य पदक विजेताओं को 3 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। एशियाई खेल और राष्ट्रमंडल खेल के विजेताओं को सरकारी नौकरी देने का भी एलान किया गया है स्वर्ण पदक विजेताओं को रजत पदक विजेताओं को और कांस्य पदक विजेताओं को की नौकरी दी जाएगी।

बिहार विधानसभा में पुनरीक्षण पर हुआ बवाल, सदन स्थगित

पटना, 22 जुलाई. बिहार विधान परिषद की कार्यवाही विशेष गहन पुनरीक्षण के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के कारण मात्र 22 मिनट बाद ही भोजनावकाश तक के लिए स्थगित कर दी गई.

सभा की कार्यवाही प्रारंभ होते ही विपक्ष पुनरीक्षण पर दिए अपने कार्यस्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करने की बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष अवधेश नारायण सिंह से मांग करने लगे. राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कार्यस्थगन

> ▸ मजदूरों के वोट छीनने का विपक्ष का आरोप

प्रस्ताव को सदन में पढ़ने की अनुमति देने की मांग की. इस पर अध्यक्ष ने कहा कि कार्यस्थगन प्रस्ताव को सदन की कार्य संचालन नियमावली के नियम संख्या 4, 10, 12 और 13 के आलोक में अस्वीकृत कर दिया गया है. सिद्दीकी ने असहमति जताई जिसपर अध्यक्ष ने उन्हें कहा कि अस्वीकृति के आलोक में असहमति है तो वह नियमों को देख सकते हैं. मामले में हस्तक्षेप करते हुए संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि यदि विपक्ष को उनका प्रस्ताव पढ़ने की अनुमति दी जाएगी तो सरकार की भी बातें विपक्ष को सुननी होगी. सिद्दीकी ने कहा कि उनका प्रस्ताव कार्यसंचालन नियमावली के नियम 103 के तहत विचार-विमर्श के लिए दिया गया है। इसके बाद सिद्धिकी अपनी सूचना को पढ़ने लगे। उन्होंने कहा कि बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है.

दिल्ली : ईडी ने कुर्क की कुलाधिपति की संपत्ति

चार अचल संपत्तियां व बैंक बैलेंस एक करोड़ जब्त

83 करोड़ रुपए की अवैध कमाई का शक

शिलांग 22 जुलाई. शिलांग में प्रवर्तन निदेशालय ने धन के बदले फर्जी प्रमाणपत्र जारी करने के मामले में सीएमजे विश्वविद्यालय के कुलाधिपति चंद्र मोहन झा और उनके परिवार के सदस्यों की 20.28 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी तौर पर कुर्क की है.

ईडी की जारी विज्ञप्ति में एक अधिकारी ने बताया कि इन संपत्तियों में नयी दिल्ली में 19.28 करोड़ रुपये मूल्य की चार अचल संपत्तियां और बैंक बैलेंस के रूप में एक करोड़ रुपये की चल संपत्ति

शामिल है, जिन्हें धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत कुर्क किया है. इससे पहले शिलांग में ईडी उप-क्षेत्रीय कार्यालय ने तीन जुलाई को एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया था, जिसमें पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत सीएमजे विवि के कुलाधिपति और उनके परिवार के सदस्यों की 20.28 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने की बात कही गई थी. इससे पहले 31 मार्च 2017, 30 नवंबर 2021 और 11 जुलाई 2024 को अनंतिम कुर्की आदेश पारित किए व कुलाधिपति झा और उनके परिवार के सदस्यों के कब्जे में क्रमशः 27.66 करोड़, 13.54 करोड़ और 7.56 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई थी.

कुलाधिपति झा के विभिन्न परिसरों में अवैध आय के स्रोत का पता लगाने के लिए दिसंबर 2024 में तीन दिनों तक की गई.

कैपरी ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

CAPRI GLOBAL HOUSING FINANCE LIMITED

पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय 502, टॉवर-ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013, सर्कल ऑफिस पता - 9बी, द्वितीय तल, पूसा रोड, नई दिल्ली - 110060

मांग नोटिस

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित। नीचे हस्ताक्षरकर्ता, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (उक्त अधिनियम) के अंतर्गत कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (सीजीएचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी हैं। प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग नोटिस जारी किए हैं, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) ("उक्त उधारकर्ता(ओं)" को उन्हें जारी किए गए संबंधित मांग नोटिस में उल्लिखित राशियों को चुकाने के लिए कहा गया है, जो नीचे भी दिए गए हैं। उपरोक्त के संबंध में, एक बार फिर, उक्त उधारकर्ता को इस नोटिस के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर सीजीएचएफएल को नीचे दर्शाई गई राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, साथ ही नीचे उल्लिखित तिथि से लेकर भुगतान और/या वसूली की तिथि तक लागू ब्याज भी देना होगा, जो उक्त उधारकर्ता द्वारा निष्पादित अन्य दस्तावेजों/लेखों के साथ पढ़े गए ऋण समझौते के तहत देय होगा। ऋण की उचित चुकौती के लिए सुरक्षा के रूप में, उक्त उधारकर्ता द्वारा सीजीएचएफएल को क्रमशः निम्नलिखित संपत्तियां गिरवी रखी गई हैं।

स. क्र.	उधारकर्ता (ओं)/ गारंटर (ओं) का नाम	मांग नोटिस की तिथि और राशि	सुरक्षित संपत्ति का विवरण (अचल संपत्ति)
1.	(ऋण खाता संख्या LNHEUJN000053140 (पुराना) 504000000617539 (नया) LNHLUJN000052921 (पुराना) 50300000954774 (नवीन)(उज्जैन शाखा) श्री शंकरलाल मालवीय (उधारकर्ता) श्री धर्मेन्द्र मालविया, श्रीमती आशा मालविया (सह-उधारकर्ता)	10.07.2025 रु. 15,03,977/- (03.07.2025 तक)	संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा जो मकान संख्या डी-4/39, एलआईजी, आवास नगर, भूमि क्षेत्रफल 430 वर्ग फुट अर्थात 39.99 वर्ग मीटर, वार्ड संख्या 29, तहसील और जिला देवास, मध्य प्रदेश 455001 है, इस प्रकार घिरा हुआ हैः उत्तरः मकान संख्या डी-4/40 एलआईजी, दक्षिणः मकान संख्या डी-4/38, पूर्वः सड़क, पश्चिमः मकान संख्या डी-4/97 एलआईजी

यदि उक्त उधारकर्ता सीजीएचएफएल को पूर्वोक्त भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो सीजीएचएफएल अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के तहत उपरोक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों के खिलाफ कार्यवाही करेगा, जो पूरी तरह से उक्त उधारकताओं के लागत और परिणामों के जोखिम पर होगी। उक्त उधारकताओं को अधिनियम के तहत सीजीएचएफएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उपरोक्त परिसंपत्तियों को हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो उक्त अभिनेता नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने के लिए उकसाता है, अधिनियम के तहत प्रदान किए गए कारावास और/या दंड के लिए उत्तरदायी होगा।

स्थानः इंदौर
दिनांकः 23-07-2025
एसडी/- (प्राधिकृत अधिकारी), केप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (सीजीएचएफएल) के लिए

एक नजर में

केरल से उड़ान भर गया ब्रिटिश एफ-35बी

तिरुवनंतपुरम. केरल में एक महीने से ज़्यादा समय से अटका ब्रिटिश रॉयल नेवी का एफ़-35बी लड़ाकू विमान आखिरकार तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे से उड़ गया. एक हाइड्रोलिक खराबी के चलते यह विमान यहां फंसा हुआ था, जिसे ठीक करने के लिए ब्रिटेन से विशेषज्ञ टीम को आना पड़ा। पांच हफ्तों के इंतज़ार के बाद, कल विमान को वापसी की हरी झंडी मिली. आज सुबह उसे तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे से उड़ान भरते देखा गया. ब्रिटिश उच्चायोग के प्रवक्ता ने बताया कि 14 जून को आपातकालीन लैंडिंग के बाद रुका यह विमान अब सक्रिय सेवा में लौट आया है. उन्होंने भारतीय अधिकारियों का आभार भी जताया। यह आधुनिक विमान ब्रिटेन के एचएमएस प्रिंस ऑफ वेल्स कैरियर स्ट्राइक समूह का हिस्सा है, जो हिंद-प्रशांत क्षेत्र में तैनात है। 14 जून को ऑस्ट्रेलिया जाते समय तकनीकी खराबी और खराब मौसम के कारण इसे केरल में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी थी.

पूर्व सीएम भूपेश के बेटे को न्यायिक हिरासत में भेजा

रायपुर. छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को विशेष प्रवर्तन निदेशालय अदालत ने मंगलवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया ।यह कार्रवाई राज्य के बहुचर्चित शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत की गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने 18 जुलाई को उन्हें गिरफ्तार किया था ।गिरफ्तारी के बाद चैतन्य को पांच दिनों की ईडी रिमांड पर भेजा गया था, जिसकी अवधि आज समाप्त हो गई। इसके बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया ।सूत्रों के अनुसार विशेष अदालत में सुनवाई के दौरान एजेंसी ने यह दावा किया कि चैतन्य ने कथित शराब घोटाले से जुड़े हजारों करोड़ के लेन-देन को छिपाने के लिए जटिल नेटवर्क और कई कंपनियों का इस्तेमाल किया।

जौनपुर में विवाहिता की संदिग्ध मौत

जौनपुर. उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले के लाइन बाजार थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई ।विवाहिता के मायके पक्ष के लोगो की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुची तो विवाहिता का शव उसके कमरे में प?ा मिला। मायके वालों ने हत्या का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करने की मांग की है ।पुलिस के अनुसार मंगलवार की सुबह रागिनी के मायके पक्ष के लोगो ने लाइन बाजार थाने पर सूचना दिया कि उसकी पुत्री रागिनी का कॉल कट कर दिया जा रहा है। खेतासराय थाना क्षेत्र के मानी कला के मायके पक्ष ने किसी अनहोनी की आशंका जताई, जिस पर चौकी की पुलिस मुकेश सोनकर के घर पहुच गए। पुलिस ने देखा तो विवाहिता रागिनी का शव उसके कमरे में पड़ा हुआ था। विवाहिता के गले मे निशान बना हुआ मिला। विवाहिता की सास और अन्य सदस्य फरार हो गए थे।

संजीवनी एम्बुलेंस चोरी

अंबिकापुर 22 जुलाई. छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई जहां अस्पताल परिसर से संजीवनी 108 सेवा की एक एम्बुलेंस रहस्यमयी ढंग से चोरी हो गई. चौंकाने वाली बात यह है कि घटना के कई दिन बाद तक अस्पताल प्रबंधन को इसकी भनक तक नहीं लगी. चोरी की वारदात अस्पताल परिसर में हुई जहां 24 घंटे सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं और परिसर में कई सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं. इतनी बड़ी गाड़ी का बिना किसी रोकटोक परिसर से निकल जाना सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है. यह पहली बार नहीं है, इससे पहले भी अस्पताल परिसर में पूर्व में मोबाइल फोन और दोपहिया वाहन चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं.

कार्यालय नगर परिषद पिपलिया मंडी, जिला-मंदसौर (म.प्र.)

Email-cmopipaliyamandi@mpurban.gov.in, Ph. No. 07424-241071

क्र.-713/ई निविदा/2025 — पिपलियामंडी, दिनांक 15.07.2025

ई निविदा आमंत्रण सूचना

निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाईन (online) निविदा आमंत्रित की जाती हैं। उल्लेखित कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाइट https://www.mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

जा.क्र. /दि.	ऑनलाईन टेंडर नं.	कार्य का नाम	कार्य की अनु. लागत	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	समया वधि	टेंडर क्रय की अंतिम तिथि
1.	.2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
713/ 15.07.25	2025_UAD_ 437526-1 प्रथम निविदा	अमृत-2.0 जलप्रदाय योजनाअर्न्तग विस्तार कार्य	2,97,04,027	1,48,522	15000	365 दिवस वर्षाकाल सहित	16.08.2025

1. निविदा दर ऑनलाईन प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक :- 16.08.2025
2. मूल दस्तावेज (फिजिकल) प्रस्तुत करने की दिनांक :- 18.08.2025, प्रातः 11.30 बजे तक

नोटः-
1. विस्तृत निविदा एवं अन्य दस्तावेज देखने एवं डाउनलोड करने के लिए https://www.mptenders.gov.in वेबसाइट पर सुविधा उपलब्ध है, अधिक जानकारी कार्यालय नगर परिषद् पिपलिया मंडी में देखी जा सकती है।
2. निविदा डाउनलोड करने के पूर्व निविदाकार निकाय में उपलब्ध शर्तों का अवलोकन एंवं फिल्ड विजिट करने के पश्चात ही टेंडर क्रय करें।
3. निविदा में यदि कोई संशोधन होता है तो वह ऑनलाईन पोर्टल पर प्रदर्शित होगा, उसके लिए पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं कराया जाएगा।
4. दरें जी.एस.टी. सहित ही प्रस्तुत करें। अन्य समस्त शर्तें लागू रहेंगी। अधिक जानकारी कार्यालय में देखी एवं समझी जा सकती हैं।

(प्रवीण सैन) मुख्य न.पा. अधिकारी न.प. पिपलिया मंडी | **(भारतसिंह सोनगरा) उपाध्यक्ष न.प. पिपलिया मंडी** | **(श्रीमती इंदिरा-सुनील देवरिया) अध्यक्ष न.प. पिपलिया मंडी**

कार्यालय नगर पालिक निगम, इन्दौर

(उद्यान विभाग सिविल मुख्यालय)
E-mail: gardendepartmentcivil@gmail.com

निविदा विज्ञप्ति क्र.: 22/उ.सिविल/ 25-26/जी-01-05 — **दिनांकः** 21.07.2025

निविदा आमंत्रण

निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदार से (MPUADD Road & Bridge, SOR/ NON SOR, DATE 02.08.2021 पर आधारित) ऑनलाइन निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण https://mptenders.gov.in/ पर देखा जा सकता है।

ग्रुप क्र.	टेंडर आईडी	कार्य का नाम	कार्य की समयवधि एवं लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं ई.एम.डी.	निविदा क्रय करने एवं खोलने की अंतिम तिथि
01	2025_UAD_ 438699_1	उद्यान विभाग के अंतर्गत झोन क्र. 07 वार्ड क्र. 34 के अंतर्गत स्कीम नं. 114 पार्ट 1 स्थित माँ अहिल्या उद्यान में पेव्हर ब्लॉक रिफिक्सिंग करना, दीवार को ऊँचा करना एवं आवश्यक सिविल के संधारण कार्य करना।	120 दिवस ₹13,09,290/-	₹2,000/- ₹9,850/-	20.08.2025 6.00 PM 22.08.2025
02	2025_UAD_ 438702_1	उद्यान विभाग के अंतर्गत झोन क्र. 07 वार्ड क्र. 34 के अंतर्गत स्कीम नं. 136 ए-2 में कांशी विश्वनाथ उद्यान में बीम डालकर नए पेव्हर ब्लॉक लगाना व रिफिक्सिंग करना एवं संधारण व आवश्यक सिविल कार्य करना।	120 दिवस ₹17,15,306/-	₹2,000/- ₹12,900/-	20.08.2025 6.00 PM 22.08.2025
03	2025_UAD_ 438703_1	उद्यान विभाग के अंतर्गत झोन क्र. 06 वार्ड क्र. 22 के अंतर्गत सी सेक्टर स्थित उद्यान में फाउंटेन का निर्माण करना, ब्लॉक रिफिक्सिंग एवं अन्य आवश्यक कार्य करना।	180 दिवस ₹ 24,14,339/-	₹5,000/- ₹18,150/-	20.08.2025 6.00 PM 22.08.2025
04	2025_UAD_ 438704_1	झोन क्रमांक 11 वार्ड क्र. 48 के अंतर्गत बड़ी ग्वालटोली राम मंदिर गार्डन में बाउण्ड्रीवॉल, पेव्हर एवं अन्य सिविल कार्य करना।	90 दिवस ₹ 7,83,203/-	₹2,000/- ₹7,850/-	06.08.2025 6.00 PM 08.08.2025
05	2025_UAD_ 438705_1	उद्यान विभाग सिविल मुख्यालय के अंतर्गत पी.एम.ए.वाय. गुलमर्ग परिसर के पीछे कनाड़िया स्थित वृक्षारोपण स्थान के आसपास फेंसिंग कार्य करना।	90 दिवस ₹9,35,990/-	₹2,000/- ₹9,400/-	06.08.2025 6.00 PM 08.08.2025

नोट : निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाइन **https://mptenders.gov.in/** की वेबसाइट पर ही किया जायेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जायेगा।

प्रतिबंधित पॉलिथीन, कैरीबैग के निर्माण/ विक्रय/ उपयोग करने पर दंड व सजा का प्रावधान है।

कार्यपालन यंत्री उद्यान सिविल नगर पालिक निगम, इन्दौर

आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड

Aadhar Housing Finance Ltd

कार्पोरेट कार्यालय : युनिट नं. 802, नटराज रुस्तमजी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एवं एम.वी. रोड़, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई - 400069.
इंदौर शाखा: प्लॉट नंबर 4 एवं 5, दुकान नंबर 105,107,109, प्रथम मंजिल, शेखर सेंट्रल, पलासिया स्क्वायर, मनोरमागंज, ए.बी.रोड, इंदौर-452001 (मध्य प्रदेश)
धार शाखा : प्लॉट नंबर 70, प्रथम मंजिल, त्रिमूर्ति नगर, मेन रोड, जिला धार - 454001 (मध्य प्रदेश)
नीमच शाखा : तल मंजिल, वल्लभ भवन 6, विकास नगर, अम्बेडकर नगर, नीमच- 458441 (मध्य प्रदेश)

आधिपत्य सूचना परिशिष्ट 4 (अचल संपत्ति हेतू)

जबकी, **आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (AHFL)** के प्राधिकृत अधिकारी के तौर पर सिक्युरीटाइजेशन एंड रिकंस्टक्शन ऑफ फायनेंशियल एसेट्स एण्ड इंफोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इंटस्ट एक्ट 2002 एवं सिक्युरिटी इंटस्ट (इंफोर्समेन्ट) नियम 2002 का नियम 3 के साथ सपठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को उपयोग करते हुए कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपरोक्त सूचना प्राप्ति के 60 दिवस में नीचे सूचना में वर्णित राशि का पुर्नभुगतान करने के लिए ऋणकर्ताओ/ प्रतिभूतिकर्ताओं को मांग सूचना (ए) जारी की थी। ऋणकर्ताराशि का पूर्नभुगतान करने में असफल रहे है, सिक्युरिटी इंफोर्समेन्ट नियम 2002 के नियम 8 के साथ सपठित उपरोक्त कानून की धारा 13 के सब-सेक्शन (4) के अंतर्गत के साथ प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए ऋणकर्ता(ओ)/ प्रतिभूतिकर्ता(ओ) एवं सामान्य जनों को सार्वजनिक रूप में सूचित किया जाता है वर्णित संपत्ति पर अधोहस्ताक्षरकर्ता ने अधिगृहण कर लिया है। धरोहर संपत्ति के एवज में संपत्ति को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय सीमा पर कानून की धारा 13 का सब सेक्शन (8) के प्रावधानों पर ऋणकर्ताएं ध्यान देवे। ऋणकर्ता को विशेष रूप में एवं सामान्य जनो को सार्वजनिक रूप से यह चेतावनी दी जाती है कि संपत्ति के साथ कोई व्यवहार न करें एवं संपत्ति के साथ कोई व्यवहार नीचे वर्णित राशि के साथ शेष देय ब्याज के लिए AHFL के शुल्क के विषयानुसार होगी।

क्रं.	ऋणकर्ता(ओ)/प्रतिभूतिकर्ता(ओ) (शाखा का नाम)	धरोहर संपत्ति विवरण (अचल संपत्ति)	मांग सूचना का दिनांक एवं राशि	आधिपत्य का दिनांक
1	(लोन कोड नं. 00300000907 / इंदौर शाखा) स्व. अम्बाराम मालवीय (कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा प्रतिनिधित्व) (ऋणी) रेखा मालवीय (सह-ऋणी)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, प्लॉट नं. 202 ई.डब्ल्यू.एस एमपी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी बावड़िया देवास, मध्य प्रदेश, 455001 **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व -201 ई.डब्ल्यू.एस प्लॉट, पश्चिम - 203 ई.डब्ल्यू.एस प्लॉट, उत्तर - 189 स्केलेटन हाउस, दक्षिण - रोड़	**14-04-2025 & ₹ 3,39,486/-**	**17-07-2025**
2	(लोन कोड नं. 06800000712 / धार शाखा) साजिद खान (ऋणी) शाहिद खान (जमानतदार)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, प्लाट नंबर 147 का उत्तरी भाग, महा लक्ष्मी नगर कॉलोनी, गाँव मगजपुरा धार तहसील जिला धार, मध्य प्रदेश, 454001. **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व- अन्य भूमि, पश्चिम- कॉलोनी रोड, उत्तर- प्लॉट नंबर 146, दक्षिण- उसी प्लॉट का शेष भाग	**08-04-2025 & ₹ 3,22,221/-**	**17-07-2025**
3	(लोन कोड नं. 06800000083 एवं 06800000718/ धार शाखा) सलमान खान (ऋणी) इरफान खान (सह-ऋणी)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, अवासीय मकान सेटलमेंट नंबर 411, प.ह.न. पुराना 55 नया 100 गांव आबादी लुन्हे रबुजुर्ग तह. मनावर, धार, म.प्र. 454449. **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व - कालेखा पिता शब्बा खां का मकान, पश्चिम - लुन्हेरा उमरबन रोड, उत्तर - फिरोज चाचा का मकान, दक्षिण - शाजदा खा पिता शबाब खा का मकान	**08-04-2025 & ₹ 4,62,222/- & ₹ 80,591/-**	**18-07-2025**
4	(लोन कोड नं. 06800000211 / धार शाखा) मनोज निंगवाल (ऋणी) शांता बाई निगवाल (सह-ऋणी) संजय निंगवाल (जमानतदार)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, रजिस्टर नं. 139 मकान, प.ह. 15, विलागर पिपरी, तह. कसरावद, अब ठीकरी, जिला खरगोन, खरगोन, मध्य प्रदेश, 451001. **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व - पब्लिक रोड, पश्चिम - रामू कहार का मकान, उत्तर - संतोष पिता रामा जी राठौर का मकान, दक्षिण - सदा शिव पिता गणपत सोनी एवं बलराम पिता सदाशिव	**08-04-2025 & ₹ 5,82,326/-**	**18-07-2025**
5	(लोन कोड नं. 14410000095 / नीमच शाखा) मंगु दास बैरागी (ऋणी) विमल बैरागी (सह-ऋणी)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, जीएफ हाउस नं. 41 ग्राम पिपलिया घोटा मनासा कुकड़ेश्वर रोड सर्वे नं. 108. प.ह. नं. 61 वार्ड नं. 03 पिपल्या घोटा द. मनासा. जिला नीमच मध्य प्रदेश 458116, **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व-गली, पश्चिम-परशुराम दास का मकान, उत्तर-सड.क, दक्षिण- अपना मकान और रास्ता	**12-04-2025 & ₹ 3,44,649/-**	**18-07-2025**

स्थान : मध्य प्रदेश
दिनांक : 23-07-2025
प्राधिकृत अधिकारी आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड